Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. DKM/1/2018/MHRD2/SEHRMT/RU-III

Date: 28.09.2018

To.

1 The Secretary,
Department of Higher Education,
Ministry of Human Resource Development,
Shastri Bhawan, New Delhi - 110001

2. The Director,
Motilal Nehru National Institute of Technology,
Allahabad-211004

Sub: Representation dated 23.01.2018 of Shri Dharmendera Kumar Meena, Ph. D (Remote Sensing), GIS Cell, Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad (Uttar Pradesh) regarding stopping payment of Institute stipend and alleged mental harassment of due to casteism.

Sir.

I am directed to enclose herewith a copy of Proceedings of the Sitting taken by Ms. Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice -Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 10-09-2018 for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within months' time.

Encl: As above

Yours faithfully,

28/9/2018

(Dr. Lalit Latta)
Director

Copy to:

1. Shri Dharmendera Kumar Meena, Ph. D (Remote Sensing), GIS Cell, Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad (Uttar Pradesh)

2. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. DKM/1/2018/MHRD2/SEHRMT/RU-III

श्री धर्मेंद्र कुमार मीना, पी.एच.डी. अध्ययनरत छात्र, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस सेल, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (उ.प्र.) की छात्रवृत्तिका रोके जाने और जातिवाद के कारण कथित रूप से मानसिक उत्पीड़न से संबंधित अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 10.09.2018 को ली गई बैठक का कार्यवृत।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची	:	संल्ग्नक 'क'
बैठक की तिथि	:	10.09.2018

श्री धर्मेंद्र कुमार मीना, पी.एच.डी. अध्ययनरत छात्र, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस सेल, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (उ.प्र.) ने आयोग को दिनांक 23.01.2018 को अभ्यावेदन देकर छात्रवृत्ति रोके जाने और जातिवाद के कारण कथित रूप से मानसिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायत की जिस पर आयोग ने दिनांक 27.02.2018 को सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली एवं निदेशक, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (उ.प्र.) को नोटिस भेजकर मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस संबंध में संस्थान के निदेशक से प्राप्त पत्र को आयोग को अपने दिनांक 06.04.2018 के पत्र के साथ भेजा। उक्त उत्तर टिप्पणी हेतु आवेदक को भेजा गया जिनसे प्राप्त रिज्वाइंडर पुनः उपरोक्त प्रतिवादियों को प्रेषित किया गया। आवेदक के अनुरोध पर माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने इस मामले की बैठक आहूत की।

बैठक में सर्वप्रथम अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया जिन्होंने अवगत कराया कि संस्थान ने नियमविरुद्ध तरीके से जातिवाद के कारण उनकी छात्रवृत्तिका रोक दी है ताकि वे अपनी पी.एच.डी. पूरी न कर सकें। वे आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं और छात्रवृत्तिका के अभाव में बहुत परेशान हो रहे हैं। संस्थान के अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जहां अन्य वर्गों के विद्यार्थियों को सीपीआई 6.5 से कम होने पर भी छात्रवृत्ति दी जा रही है किंतु उनकी छात्रवृत्ति रोक दी गई है। उन्हें प्रैक्टिकल में भी डी ग्रेड दिया गया, इसकी वजह उन्हें अपना सेमेस्टर रिपीट करना पड़ा और एक वर्ष का नुकसान हो गया। उन्हें कॉम्प्रेहिंसिव परीक्षा नहीं देने दी जा रही है। 6.5 से कम सीपीआई होने पर उनकी मार्कशीट में एसीडी लिख दिया गया है जबकि उसी परिणाम वाले सामान्य वर्ग के छात्रों की मार्कशीट में उत्तीर्ण लिखा है। अन्य छात्रों को उनसे मिलने जुलने से रोका जा रहा है और उन्हें संस्थान में धमकी दी जा रही है। उन्होंने आयोग से न्याय दिलाने का अनुरोध किया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग ने इस मामले में संस्थान के निदेशक से जानकारी चाही जिन्होंने अवगत कराया कि पी.एच.डी. ऑर्डिनेन्स की धारा 3.3.1, जो संस्थान के पूर्णकालिक शोध छात्रों की छात्रवृत्ति के संबंध में है तथा धारा 8 जो एकेडमिक परफॉरमेंस के संबंध में है, को पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा कि प्रथम सेमेस्टर के बाद सीपीआई 6.5 से कम होने पर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण नहीं होगा। आवेदक ने यह उल्लेख किया है कि कुछ छात्रों को सीपीआई 6.5 से कम होने के बाद भी छात्रवृत्ति दी गई है। संस्थान द्वारा विभिन्न विभागों में ऐसे विद्यार्थियों की पहचान की जा रही है और निर्गत छात्रवृत्तिका की वसूली की जाएगी। छात्रों को मूल्यांकन के आधार पर ग्रेड दिया गया है और अन्य वर्गों के छात्रों को भी कमतर प्रदर्शन पर खराब ग्रेड दिये गये हैं। इसमें जातीय आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है और आरोप निराधार हैं। छात्र की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आवेदक को विशेष वरीयता देते हुए छात्र कल्याण कोष से 20,000/– रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। दिनांक 13.07.2018 से आवेदक की छात्रवृत्तिका भी बहाल कर दी गई है। वे कॉम्प्रेहिंसिव परीक्षा भी दे सकते हैं।

आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि यदि 6.5 से कम सीपीआई वाले किसी छात्र को छात्रवृत्तिका दी गई है तो आवेदक को भी मिलनी चाहिए थी। संस्थान अलग–अलग वर्गों के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। मार्कशीट में भी एक जैसी स्थिति होने पर परिणाम समान होना चाहिए। यह संस्थान का दायित्व है कि वह कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करे। आवेदक के गाइड द्वारा भी उच्चाधिकारियों को इस संबंध में 02 पत्र लिखे गए हैं जो आवेदक ने बैठक में प्रस्तुत किए हैं। इन पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है जैसा अन्य विद्यार्थियों के साथ किया जा रहा है। संस्थान को आवेदक की और अधिक सहायता करनी चाहिए क्योंकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के बहुत कम विद्यार्थी उच्च शिक्षा की ओर अभिरुचि रखते हैं।

दोनों पक्षों से चर्चा के बाद आयोग निम्नानुसार अनुशंसाएं करता हैः–

1. मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (उ.प्र.) यह जांच करे कि क्या 6.5 से कम सीपीआई वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तिका दी गई है और यदि दी गई है तो आवेदक को भी उनकी रोकी गई पूरी छात्रवृत्तिका प्रदान करे। यदि पात्रता नहीं बनती है तो जिन्हें भी छात्रवृत्तिका दी गई है, उनसे पूर्ण राशि वसूली जाए ताकि आवेदक के साथ भेद–भाव न परिलक्षित हो।
2. यदि आवेदक को छात्रवृत्ति न दिए जाने और जिन विद्यार्थियों को दी गई है, उनसे वसूली किए जाने का निर्णय किया जाता है तो आवेदक की अत्यंत खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए छात्र कल्याण कोष से और अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
3. संस्थान के निदेशक यह सुनिश्चित करें कि आवेदक की कॉम्प्रेहिंसिव परीक्षा 02 सप्ताह के भीतर ले ली जाए और संस्थान तथा संबंधित विभाग के कोई भी

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

अधिकारी / शिक्षक उनके साथ मर्यादापूर्ण व्यवहार करें ताकि वे अपनी डिग्री हासिल कर सकें।

4. बहाल की गई छात्रवृत्तिका का नियमित भुगतान आवेदक के खाते में सुनिश्चित किया जाए।
5. निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदक के विभाग एवं संस्थान में उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण एवं सहयोगी वातावरण विकसित किया जाए ताकि अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
6. संस्थान द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर कृत कार्रवाई की जानकारी आयोग को 01 माह के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संलग्नक 'क'

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. DKM/1/2018/MHRD2/SEHRMT/RU-III

श्री धर्मेंद्र कुमार मीना, पी.एच.डी. अध्ययनरत छात्र, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस सेल, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (उ.प्र.) की छात्रवृत्तिका रोके जाने और जातिवाद के कारण कथित रूप से मानसिक उत्पीड़न से संबंधित अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 10.09.2018 को ली गई बैठक का कार्यवृत।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
2. श्री शिशिर कुमार राथ, संयुक्त सचिव
3. श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिकारी

1. श्री ए.के. सिंह, अवर सचिव

एमएनएनआईटी के अधिकारी

1. श्री राजीव त्रिपाठी, निदेशक
2. श्री के.एन. पाण्डे

आवेदक

श्री धर्मेंद्र कुमार मीना, पी.एच.डी. अध्ययनरत छात्र